"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 345] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 मई 2022 — वैशाख 22, शक 1944

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 मई 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–28/2021/सात–4.– छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 एवं धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, अधिसूचना क्रमांक 2498–7–ना–1/दिनांक 10 जून, 1965 (राजपत्र दिनांक 02 जुलाई, 1965 में प्रकाशित) में अधिसूचित नामांतरण एवं अन्य भू–अभिलेख को तैयार करने से संबंधित नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 24, 25 ,26, 27, 28, 29, 30, 31 एवं 32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''24. पटवारी, प्ररूप–ड. में नामांतरण पंजी ऑनलाईन संधारित करेगा, जिसमें वह धारा 109 के अंतर्गत उसे सूचित किये गये पंजीकृत विलेख, उत्तराधिकार, उत्तरजीविता, इच्छापत्र अथवा पट्टे द्वारा अंतरणों के कारण भूमि स्वामित्वाधिकार में किये गये अथवा ग्राम पंचायत या आनलाईन माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त प्रज्ञापनों के आधार पर उसकी जानकारी में लाये गये प्रत्येक परिवर्तन को, ग्रामवार दर्ज करेगा ।

25. धारा 109 के अधीन व्यक्तिगतरूप से प्राप्त हुए अधिकार अर्जन की जानकारी प्राप्त होने पर पटवारी द्वारा प्ररूप च में अभिस्वीकृति दी जायेगी।

26. पंजीयन संबंधी दस्तावेज, उप पंजीयक द्वारा ई पंजीयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भुईया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत संबंधित पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार के आई.डी. में प्रेषित किया जाएगा। पंजीयन के समय ही उप पंजीयक द्वारा, भूमि पर अधिकार अर्जन करने वाले व्यक्ति से, ग्राम पंचायत द्वारा या तहसीलदार द्वारा ऑनलाईन नामांतरण प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु विकल्प प्राप्त किया जायेगा।

27. पटवारी, पंजीकृत विलेख के साथ ग्राम पंचायत का विकल्प प्राप्त होने पर, ग्राम पंचायत के समक्ष एवं तहसीलदार का विकल्प प्राप्त होने पर, तहसीलदार के समक्ष 07 दिवस के भीतर मूल राजस्व अभिलेखों से सत्यापन करते हुए, पोर्टल में उपलब्ध प्रारूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

28. अविवादित नामांतरण प्रकरणों में, ग्राम पंचायत, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा, साथ ही 15 दिवस की आम सूचना (ईश्तहार) का प्रकाशन करते हुए, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं सार्वजनिक स्थलों पर सूचना की प्रति चस्पा करेगा। ग्राम पंचायत, बैठक में अविवादित नामांतरण के मामले में प्रस्ताव (संकल्प) पारित करेगा और अभिलेख के सुधार हेतु संबंधित पटवारी को भेजेगा तथा किसी नामांतरण के मामले में विवाद की स्थिति पाये जाने पर, पंचायत, प्रस्ताव (संकल्प) के साथ आगामी 03 दिवस के भीतर तहसीलदार को ऑनलाइन ई–नामांतरण पोर्टल पर अग्रेषित करेगा ।

29. तहसीलदार, पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर, हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी करेगा तथा स्थानीय निकाय के सूचना पटल पर, तहसीलदार के कार्यालय के सूचना पटल पर, सार्वजनिक स्थलों पर एवं विभागीय वेबपोर्टल पर, जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर दावा/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु आम सूचना (ईश्तहार) प्रदर्शित करेगा।

30. तहसीलदार, कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर, हितबद्ध पक्षकारों की सहमति दर्ज करने के पश्चात्, नामांतरण पंजी में नामांतरण आदेश पारित करेगा तथा संबंधित पटवारी को राजस्व अभिलेख अर्थात् खसरा, बी–1 एवं नक्शा में तदनुसार प्रविष्टि हेतु भेजेगा।

31. तहसीलदार, कोई दावा/आपत्ति प्राप्त होने पर, ई–नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई–राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा तथा विधि के अनुसार सभी पक्षकारों एवं दावा–आपत्ति करने वालों की सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करेगा।

32. नामांतरण के प्रकरण, स्वीकृत स्वत्व के आधार पर ही विनिश्चित किये जाएंगे, न कि आधिपत्य के आधार पर।''

2. नियम 32 (क) का लोप किया जाये।

3. नियम 33 एवं 34 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''33. नामांतरण आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर, पटवारी, ग्राम के खसरा, नक्शा एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में आदेशानुसार प्रविष्टि करेगा। किसी नामांतरण आदेश के अनुसार मूल नक्शे में बटांकन संभव नहीं होने पर, नक्शे को 1:500 में फैलाकर, नक्शे का भाग निर्मित किया जाएगा। पटवारी, पहले आये पहले गये क्रम में (इन आर्डर टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट), नक्शा सहित अन्य अभिलेखों को अद्यतन करते हुए, डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन करेगा। पटवारी, सत्यापित किसान–किताब, पक्षकारों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा ।

34. अविवादित नामांतरण प्रक्रिया हेतु निर्धारित समयावधि के भीतर प्रकरण का निराकरण नहीं किए जाने की दशा में, संबंधित प्राधिकारियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के प्रावधान लागू होंगे।''

4. नियम 35 का लोप किया जाये।

5. प्ररूप ड. एवं प्ररूप च के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''प्ररूप ड.
(नियम 24 देखिए)

नगरीय एवं नगरेत्तर क्षेत्रों के ग्रामों हेतु नामांतरण पंजी

नामांतरण स. क्र. (प्रज्ञापना या सूचना प्राप्त होने की तारीख)	वर्तमान भूमिस्वामी	प्रस्तावित भूमिस्वामी	खसरा नंबर (क्षेत्रफल)	क्या आदेश पूर्व में पारित?	वर्तमान स्थिति	नामांतरण का पूर्ण ब्यौरा	पटवारी प्रतिवेदन देखें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

क्या आप राजस्व न्यायालय में दर्ज करना चाहते हैं ?	पेशी तारीख	सूचना/आम सूचना (ईश्तहार) जारी करें.	सूचना/आम सूचना (ईश्तहार) देखें	सूचना/आम सूचना (ईश्तहार) की तामीली पावती अपलोड करें	क्या पक्षकार उपस्थित हुए?	क्या आपत्ति प्रस्तुत की गई?	आदेश प्रविष्ट करें
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

अंतिम आदेश देखें	विवादित प्रकरण	राजस्व न्यायालय में निराकृत हुआ	आदेश पारित/ खारिज	अभिलेख अद्यतन स्थिति	पूर्व में अभिलेख अद्यतन किया गया	नामांतरण की आवश्यकता नहीं है	नागरिक द्वारा अपलोड दस्तावेज देखें
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

प्ररूप च
(नियम 25 देखिए)

.... से गांव............................... तहसील.............................. में स्थित भूमि के अधिकारों के अर्जन के बारे में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 109 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिवेदन/सूचना का दस्तावेज प्राप्त हुआ।

पटवारी, हल्का नम्बर ....''

6. प्ररूप छ का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम नामदेव एक्का, सचिव.

Atal Nagar, the 12th May 2022

NOTIFICATION

F No. 4-28/2021/7-4.– In exercise of the powers conferred by Section 258 and Section 110 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Rules Regarding Record of Rights notified by the Notification No. 2498-VII-N- dated 10th June 1965 (Published in Gazette dated 02nd July 1965), namely,-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For rule 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32 the following shall be substituted, namely,:-

“24. The Patwari shall maintain online a mutation register in form E in which he shall enter villagewise, every change in ownership of land due to transfers by registered deeds, inheritance, survivourship, bequest or lease reported to him under section 109 or come to his notice on the basis of intimations received from Gram Panchayat or from online medium or from any other source.

25. The acknowledgement shall be given on the report received of the acquisition of right received personally under Section 109 by the Patwari in form F.

26. The documents related to registration shall be sent in IDs of the concerned Patwari, Revenue Inspector and Tahsildar under Bhuiyan software through e-Registry software by the sub-registrar. The option to initiate process of mutation online by Gram Panchayat or Tahsildar shall be taken by the sub-registrar at the time of registry itself, from the person(s) acquiring the rights to the land.

27. The Patwari shall submit report, in the format available in the portal, within 07 days, after verifying from original revenue records, to Gram Panchayat if the option of Gram Panchayat is there and to Tahsildar if the option of Tahsildar is there, with registered deed.

28. In non-disputed mutation cases, the Gram Panchayat shall issue notices to interested parties. Alongwith issuing a public notice of 15 days display the copy of notice on notice board of Gram Panchayat and on public places. Gram Panchayat shall pass resolution, in case of non-disputed mutation, in meeting and send to concerned Patwari for record updation and in case of getting dispute in any mutation case, Panchayat shall forward to Tahsildar on online e-Namantaran Portal, with resolution.within 03 days.

29. Tahsildar, within 07 days of receiving report from Patwari, issue notices to interested parties. and display public notice to invite claims/objections within 15 days from the date of issuance, on the notice board of local body, the notice board of office of Tahsildar, on public places and departmental webportal.

30. Tahsildar, on receiving no claim/objection, shall pass order for mutation in mutation register, after recording the consent of interested parties, and send to concerned Patwari for entries accordingly in revenue records viz Khasra, B-1 and map.

31. Tahsildar, on receiving any claim/objection, shall register the case by transfering it to e-Revenue court from e-Namantaran Portal, and pass appropriate order after hearing the all parties and claimants/objectioners as per the law.

32. Case of the mutation shall be decided on the basis of title approved, and not possession."

2. Rule 32 (A) shall be omitted.

3. For rule 33 and 34 the following shall be substituted, namely,:-

"33. Within 07 days of receiving the order of mutation, Patwari shall make entries in Khasra, map and other related records of the village as per the order. The part of the map shall be made by spreading the map in 1:500, if the partition in original map, as per the order of mutation, is not possible. Patwari shall verify from the digital signature by updating map with other records in order to first in first out. Patwari shall ensure to make the verified Kisan Kitab available to the parties.

34. The provisions of the Chhattisgarh Lok Seva Guarantee Adhiniyam, 2011 shall be applicable against the competent authorities, in case of not disposing the case within time period prescribed for non-disputed mutation."

4. Rule 35 shall be omitted.

5. For form E and form F, the following shall be substituted, namely,:-

Form-E
(See rule 24)

Mutation Register for villages in Urban and Non-Urban areas

S. No. of mutation (Date of receipt of information /infimation	Present Bhumiswami	Proposed Bhumiswami	Khasra Number (Area)	If order passed in past	Present status	complete detail of mutation	See Patwari Report
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Do you want to register in Revenue court	Date of hearing	Issue notice/ public notice	See notice/ public notice	upload receipt of notice/ public notice	Presence of parties?	Objection received?	Enter Order
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

See final order	Disputed case	If disposed in Revenue court	Order Passed/dismissed	Record updation status	Record updation in past	No need of mutation	See documents uploaded by citizen
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Form-F
(See rule 25)

Received the report/information under section 109 of the chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 regarding the acquisition of right over land situated in village ………………………………….. Tahsil …………………………….. from …………………………

Patwari, Halka Number. …………"

6. Form G shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELM NAMDEO EKKA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.